राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(10)नविवि/3/2012 पार्ट जयपुर, दिनांक : 25 जून, 2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा खनिज बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में एम–सेण्ड को बढावा देने के लिए राजस्थान एम–सेण्ड नीति–2020 को 25 जनवरी, 2020 से लागू कर दिया गया है। अतः इस संबंध में सक्षम स्तर से लिए गए निर्णयानुसार एम–सेण्ड नीति–2020 के निम्न बिन्दुओं में उल्लेखित प्रावधानों की पालना समस्त विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासों एवं आवासन मण्डल द्वारा सुनिश्चित की जावे :–

1. **बिन्दु सं. 2**:– राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अनु. 3 तथा 5.13 के अंतर्गत एम–सेण्ड की नवीन/विस्तारित इकाईयों को योजनांतर्गत पात्र होने पर समस्त परिलाभ देय होंगे।
2. **बिन्दु सं. 8**:– एम–सेण्ड इकाई स्थापित करने वाली इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आवेन पत्रों का 120 दिवस की अवधि में समयबद्ध तरीके से, जिसमें भूमि का रूपान्तरण (कन्वर्जन) भी सम्मिलित है, निस्तारण किया जायेगा।
3. **बिन्दु सं. 11** :– राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं एवं राज्य सरकार से वित्त पोषित अन्य संगठनों द्वारा करवाये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोगित खनिज बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25 प्रतिशत एम–सेण्ड का उपयोग अनिवार्य होगा जो कि उपलब्धता के आधार पर 50 प्रतिशत तक बढाया जा सकेगा।
4. **बिन्दु सं. 14** :– एम–सेण्ड उत्पादन में शहरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का पानी प्रचलित दर अनुसार उपलब्धता के आधार पर उपयोग किया जा सकेगा।

आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप–2) विभाग।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner